

दिनांक : ०२/०७/२०२५

क्रमांक / कोर्ट / २०२५ / ७४५

तहसीलदार,
तहसील, जालसू,
जयपुर।

विषय:—प्रकरण संख्या १५/२०२४ बउनवानी लच्छू बनाम गजेन्द्र वगै० में निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक २५.०६.२०२५ की पालना में पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद संख्या १५/२०२४ बउनवानी लच्छू बनाम गजेन्द्र वगै० में निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक २५.०६.२०२५ की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो पालना कर पालना रिपोर्ट अतिशीघ्र न्यायालय में भिजवायें।

संलग्न:—१. प्रतिलिपि निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक २५.०६.२०२५
२. नक्शा ट्रेस

Amir

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर



न्यायालय :- सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.



नियमित वाद संख्या 15/2024

वाद प्रस्तुति दिनांक : 02.02.2024

लच्छू पुत्र श्री भगता आयु 78 वर्ष जाति बागड़ा ब्राहमण निवासी-ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।

.....वादी

बनाम

1. गजेन्द्र पुत्र नाथूराम दत्तक पुत्र हनुमान
2. छितर पुत्र मांग्या
3. नन्दकिशोर पुत्र नाथूराम
4. बाबूलाल पुत्र नाथूराम
5. मनफूली पत्नी नाथूराम
6. सीता देवी पुत्री नाथूराम

समस्त जाति बागड़ा ब्राहमण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू, तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।
8. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक जालसू, तहसील जालसू, जिला जयपुर ग्रामीण।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत - 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955

दिनांक 25.06.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि खाता संख्या नया 209 व खाता संख्या पुराना 188 भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 0.1500, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.7100 व खसरा नम्बर 175 रकबा 1.0500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 176 रकबा 0.3100, खसरा नम्बर 177 रकबा 0.3200, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.2800 खसरा नम्बर 420 रकबा 0.8300 व खसरा नम्बर 421 रकबा 0.2200 कुल किता 08 कुल रकबा 3.8700 हैक्टेयर वाके ग्राम राधाकिशनपुरा, पटवार हल्का राधाकिशनपुरा, भूअ.नि. राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर (ग्रामीण) में स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि जोत की खातेदारी वादी लच्छू पुत्र भगताराम का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी संख्या-1 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी संख्या-2 हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या-3 का हिस्सा 1/24, प्रतिवादी संख्या-4 हिस्सा 1/24, प्रतिवादी संख्या 5 हिस्सा 1/24, प्रतिवादी संख्या 6 हिस्सा 1/24, राजस्व भू-अभिलेखों में इसी प्रकार इन्द्राजात दर्ज हैं। और इसी के अनुसार संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है राजस्व भू-अभिलेखों में इसी प्रकार इन्द्राज चला आ रहा है। लगान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 देय है। जो सभी सह-कृषक अपने-अपने हिस्से के अनुसार देय करते चले आ रहे हैं। खाता संख्या नया 209 व खाता संख्या पुराना 188 भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 0.1500, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.7100 व खसरा नम्बर 175 रकबा 1.0500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 176 रकबा 0.3100, खसरा नम्बर 177



प्रकरण संख्या - 15/2024
वडनवानी - लखू बनाम गजेन्द्र गौरी
निर्णय दिनांक :- 25.06.2025

रकबा 0.3200, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.2800 खसरा नम्बर 420 रकबा 0.8300 व खसरा नम्बर 421 रकबा 0.2200 कुल किता 08 कुल रकबा 3.8700 हैक्टेयर वाके ग्राम राधाकिशनपुरा, पटवार हल्का राधाकिशनपुरा, भू.अ.नि. राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर (ग्रामीण) जो कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, राजस्व भू-अभिलेखों में इसी प्रकार इंद्राजात दर्ज है। वादपत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि कुल किता 08 कुल रकबा 3.8700 हैक्टेयर ही इस दावे में विवादित भूमि है जिसे वादपत्र में आगे भूमि विवादग्रस्त से सम्बोधित किया गया है। राजस्व भू-अभिलेखों में खाता संख्या नया 209 व खाता संख्या पुराना 188 भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 0.1500, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.7100 व खसरा नम्बर 175 रकबा 1.0500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 176 रकबा 0.3100, खसरा नम्बर 177 रकबा 0.3200, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.2800 खसरा नम्बर 420 रकबा 0.8300 व खसरा नम्बर 421 रकबा 0.2200 कुल किता 08 कुल रकबा 3.8700 हैक्टेयर की भूमि संयुक्त कृषि जोत के रूप में दर्ज है और मौके पर उक्त भूमि का आपसी सहमति से विभाजन किया जाकर मौके पर अपने हिस्से 1/6 के अनुसार वादी काबिज है। राजस्व भू-अभिलेखों में भूमि संयुक्त कृषि जोत के रूप में ही दर्ज होने की वजह से अब सहकृषकों के मध्य विवाद उत्पन्न न हो इससे पूर्व ही उक्त भूमि का मौके पर विधिवत रूप से विभाजन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 03.09.2024 को इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावे के कई अवसर देने के उपरांत भी जवाब दावा पेश नहीं करने पर जवाब दावे का अवसर बंद किया गया।

बहस सुनी जाकर वाद प्राथमिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार जालसू को कुर्रैजात रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार जालसू द्वारा कुर्रैजात प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की अतः वाद तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:-

1. छीतर पुत्र मांग्या हि. पूर्ण जाति बागडा ब्राह्मण, सा. देह खातेदार शेष इंद्राज जमाबंदी बदस्तुर के हिस्से खसरा नंबर 175 रकबा 1.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 176 रकबा .3100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 177/1 रकबा .2800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 174/1 रकबा .1600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 254/1 रकबा .1350 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.9350 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. गजेन्द्र पुत्र नाथूराम दत्तक पुत्र हनुमान सहाय हि. पूर्ण जाति बागडा ब्राह्मण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 173/1 रकबा .0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 174/2 रकबा .5500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 254/2 रकबा .0550 हैक्टेयर, खसरा नंबर 420/2 रकबा .0200 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा .6450 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

3/3/25
सहायक कलक्टर
जयपुर

3. लच्छू पुत्र भगता हि. पूर्ण जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 177/2 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 420/3 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 254/4 रकबा 0.0450 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा .6450 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. बाबूलाल पुत्र नाथू हि. 1/4, मनफूली पत्नी नाथू हि. 1/4, सीता देवी पुत्री नाथू हि. 1/4, नंदकिशोर पुत्र नाथू हि. 1/4 जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 173/2 रकबा .1300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 420/1 रकबा .0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 420/4 रकबा .2100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 421 रकबा .2200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 254/3 रकबा .0450 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा .6450 हैक्टेयर भूमि रहेगी।


तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



[Signature]
सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इत्तदाई
(ओं 20 रुल्स 6 व 7 जाब्दा दीवानी)
पीठारीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस



नियमित वाद संख्या 15/2024

वाद प्रस्तुति दिनांक : 02.02.2024

लच्छू पुत्र श्री भगता आयु 78 वर्ष जाति बागड़ा ब्राहमण निवासी-ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।

.....वादी

बनाम

1. गजेन्द्र पुत्र नाथूराम दत्तक पुत्र हनुमान
2. छितर पुत्र मांग्या
3. नन्दकिशोर पुत्र नाथूराम
4. बाबूलाल पुत्र नाथूराम
5. मनफूली पत्नी नाथूराम
6. सीता देवी पुत्री नाथूराम
समस्त जाति बागड़ा ब्राहमण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू, तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।
8. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक जालसू, तहसील जालसू, जिला जयपुर ग्रामीण।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत - 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:-

1. छीतर पुत्र मांग्या हि. पूर्ण जाति बागड़ा ब्राहमण, सा. देह खातेदार शेष इंद्राज जमाबंदी बदस्तुर के हिस्से खसरा नंबर 175 रकबा 1.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 176 रकबा 3100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 177/1 रकबा .2800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 174/1 रकबा 1600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 254/1 रकबा .1350 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.9350 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. गजेन्द्र पुत्र नाथूराम दत्तक पुत्र हनुमान सहाय हि. पूर्ण जाति बागड़ा ब्राहमण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 173/1 रकबा .0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 174/2 रकबा .5500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 254/2 रकबा .0550 हैक्टेयर, खसरा नंबर 420/2 रकबा .0200 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा .6450 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. लच्छू पुत्र भगता हि. पूर्ण जाति बागड़ा ब्राहमण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 177/2 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 420/3 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 254/4 रकबा 0.0450 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा .6450 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. बाबूलाल पुत्र नाथू हि. 1/4, मनफूली पत्नी नाथू हि. 1/4, सीता देवी पुत्री नाथू हि. 1/4, नंदकिशोर पुत्र नाथू हि. 1/4 जाति बागड़ा ब्राहमण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 173/2 रकबा .1300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 420/1 रकबा .0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर

Buzi
सहायक कलेक्टर
आमेर जयपुर

प्रकरण संख्या - 15/2024
बउनवानी - लच्छू बनाम गजेन्द्र वगै०
निर्णय दिनांक :- 25.06.2025

420/4 रकबा .2100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 421 रकबा .2200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 254/3
रकबा .0450 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा .6450 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 25.06.2025 को जारी किया।

दस्तख्त-----
ओहदा-----



Bmz
सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

गुददई	रूपये	पैसे	गुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	-	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	-
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कगिश्नर			फीस कमि	4 रूपये	
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		इनर		
मुतफरित			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मीजान			मुतफरित		
			मीजान		

Bmz
सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मैजिस्ट्रेट आमेर मुजफ्फुर के वाद संख्या 15/24 जनवान एच.एच.ए. 2019 के निर्णय व दिनांक 08/10/25 की
 पालना में याम बाबाजीशमश्रीराजी खसर नं. 173, 174, 175, 176, 177, 254, 420, 421 - कुल किताबें रकबा 87 है. पर कुजेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु नोटिस दिनांक 09/06/25 की
 पालना में आज दिनांक 13/06/25 को बहसार्त उपरसहीलदार अक्सर भू.अ.नि. वृत्त R R P प्र.र. R R P के साथ मौके पर उपपक्षकारण की अपेक्षा में निम्न प्रकार कुजेजात रिपोर्ट तैयार
 की गयी :-


जमाबंदी अनुसार वर्तमान प्रविष्टि

क्र. सं.	जमाबंदी अनुसार वर्तमान खातेदार	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान	क्र. सं.	प्रस्तावित प्रविष्टि कुजेजात रिपोर्ट अनुसार	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान	
10	विजय सुजा नाथुराज दत्तक सुजा एनुमान सादाय दि. 1/6, दीनर सुजा मांया दि. 1/2, अंकिरीर सुजा नाथ 1/24, बाबूसाय सुजा नाथ 1/24, अनशुली पतिना नाथ 1/24, एच.ए. सुजा भजता 1/6, सीतदेवी सुजा नाथ दि. 1/24 भाति बाबाजा बाबाय सा. देह बाहेदार शैब इन्हाय अभाकी चदसुर	173 174 175 176 177 254 420 421	0.15 0.71 1.45 0.31 0.32 0.28 0.23 0.22			1	दीनर सुजा मांया दि. सुबी बासि बाबाड। बाबाय सा. देह खातेदार शैब इन्हाय अभाकी चदसुर	175 176 177 254 05	1.05 3.10 2800 1600 1350 1935			
		08	3-87			3	एच.ए. सुजा भजता दि. सुबी भाति बाबाजा बाबाय सा. देह खातेदार	177 420 254	0.04 0.04 0.05			

कुजेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि

ख. न.	रकबा	किस्म	लगान
173/1	0200		
174/2	5500		
254/2	0550		
420/2	0200		
04	6450		
177/2	0.0400		
420/3	0.5600		
254/4	0.0450		
03	6950		

सहायक कलेक्टर
आमेर मुजफ्फुर



13/11/25

13/11/25
I R R P

कुजेजात रिपोर्ट तैयार
कुजेजात तह-जात

13/11/25
तहसील जात

जमावंदी अनुसार वर्तमान पविष्टि

जमावंदी अनुसार वर्तमान खातेदार

कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित पविष्टि

ख. न.	रकबा	फिस्म	लगान
4.	173/2	1300	
	420/1	0400	
	420/4	2100	
	421	2200	
	259/3	0450	
	05	6450	

प्रस्तावित पविष्टिकुरेजात रिपोर्ट अनुसार

काबुलात कु नाथूर हि. 114, अनजुबी
 धनि नाथूर हि. 114, सीतादेवी कुशी
 नाथूर हि. 114, नंदकिशोर कु नाथूर
 हि. 114 जाति काजडा काहवा सा. देह
 अर्थात वार

13/6/25
 तहसीलदार
 मुबोना तहसील

✓
 अर्जा दिना
 परका दिनांक 11


1316/2025
 P R R R P

13/6/25
 तहसीलदार (मुबोना)
 तहसील, जालसू

13/6/25
 सहायक कलक्टर
 आभेर मं. जालसू



श्रीवाकिशानपुर
 - श्रीवाकिशानपुर
 जालपुर.



- - चीवर
- - गजेन्द्र
- - पाबूलास
- - लच्छू

13/6/25

मुपडाता लठ. - किलसं

13/06/25
 श्री R Radhaki Shampura
 श्रीवाकिशानपुर

सहायक कलक्टर
 साधर मु. जयपुर

13/6/25
 तहसीलदार (मु.ज.)
 तहसील, जालपुर